

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 5(1)मं.मं./2019

जयपुर, दिनांक 02.08.2019

आदेश

दिनांक 29.07.2019 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्त एवं विनियोग विधेयक पर जवाब के दौरान सदन में निम्नांकित घोषणा की गयी:-

"विधान सभा के माननीय सदस्यों के जयपुर में सरकारी आवास व उनके नियमित मेंटीनेंस के बारे में विभिन्न समस्याएं रहती हैं। मितव्ययता की दृष्टि से यह सुझाव भी दिया जाता है कि माननीय विधायकों को बहुमंजिला अपार्टमेंट बना कर फ्लैट आवंटित किए जाएं। इसी प्रकार माननीय विधायकों के वेतन, भत्ते, आवास सुविधा, चिकित्सा सुविधा, यात्राएं इत्यादि मुद्दों पर भी रिव्यू की मांग उठती जा रही है। उपरोक्त दोनों बिन्दुओं पर विचार कर एक स्थाई फार्मूला सजेस्ट करने के लिए मंत्रिमण्डलीय उप समिति बनाई जाएगी, जिसमें विपक्ष के नेता भी शामिल होंगे, जो अन्य राज्यों की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन कर, एक दीर्घकालीन रिपोर्ट पेश करेगी, जिससे कि उक्त सभी सुविधायें व्यवस्थागत तरीके से एक निश्चित अंतराल पर उपलब्ध हो सकें। यह समिति पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों के बारे में भी सुझाव दे सकेगी।"

उक्त घोषणा के अनुसरण में एतद्वारा निम्नानुसार मंत्रिमण्डलीय उप समिति का गठन किया जाता है:-

1	श्री शांति कुमार धारीवाल, मंत्री, संसदीय मामलात विभाग	संयोजक
2	श्री गुलाब चन्द कटारिया, नेता प्रतिपक्ष	सदस्य
3	श्री बुलाकी दास कल्ला, मंत्री, ऊर्जा विभाग	सदस्य
4	मास्टर भंवरलाल मेघवाल, मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य
5	डॉ. महेश जोशी, मुख्य सचेतक	सदस्य

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग संसदीय कार्य विभाग होगा तथा इसके सदस्य सचिव प्रमुख शासन सचिव, संसदीय कार्य विभाग होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

एग/

(कैलाश चन्द्र गुप्ता)

वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री, राजस्थान।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण।
5. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, नेता प्रतिपक्ष/मुख्य सचेतक।
6. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, संसदीय कार्य विभाग।
8. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव